तेजपाल बनाम महावीर मु.न. 54/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15-4-25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2.5.25 को पेश हो।	
2.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.5.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर
5-5-25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 7-5-25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
7-5-25	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट......खारीज...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 54 / 2021

1 तेजपाल सिंह आयु 66 साल करीब पुत्र स्व. सबल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नरसास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। मो. नम्बर 9571492089

अपीलांटस

बनाम

1 महावीर सिंह उम्र 59 साल पुत्र स्व. दोलसिंह उर्फ दोलजी
2 भगवान सिंह उम्र 61 साल पुत्र स्व. दोलसिंह उर्फ दोलजी
3 नन्द सिंह उम्र 53 साल पुत्र स्व. दोलसिंह उर्फ दोलजी
4 मोहन सिंह उम्र 31 साल दत्तक पुत्र स्व. नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नरसास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। पिन नम्बर 332318
5 हरलाल उम्र 74 साल पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी डोटासरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 भवानी उम्र 60 साल पुत्र झाबरमल जाति जाट निवासी ग्राम टोडासरा वार्ड नम्बर 7 तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 नानूराम उम्र 69 साल पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरसास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2002 पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ उनवानी रेवेन्यू वाद संख्या 199 / 2002 उनवानी महावीर सिंह आदि बनाम झाबर आदि जिसके द्वारा गलत रूप से कृषि भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 7/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 199/2002 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2002 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 4 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर नया 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 222, 221, 220, 373, 374, 375, 388, 387 वाके ग्राम नरसास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि फ्रोडूलेण्ड डिक्री के आधार पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 द्वारा नामान्तकरण संख्या 508 खुलवा कर तदविषयक रेवेन्यू रिकार्ड में दिखावे के रूप में अपनी खातेदारी अंकित कर ली। जबकि कब्जा गोपालसिंह जी के सभी वारिसान का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का समूचित अवलोकन किये बिना साक्ष्य का समूचित अवलोकन किये बिना तथा न्यायिक प्रक्रिया का सम्यक पालना किये बिना पारित की हुई होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री के वाद में अंकित ये तथ्य की उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पिता दादा काश्त करते थे। गोपाल जी के देहान्त के बाद ऐसी स्थिति होते हुए भी गोपाल जी के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिन चुनौतीग्रस्त निर्णरू व डिक्री पारित की गई। विचारण न्यायालय द्वारा मौके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की वास्तविक व भौतिक स्थिति की जांच तहसीलदार द्वारा करवाये बिना वास्तविक खातेदार, काबिज काश्तकारों को सूचित किये बिना तथा रिकार्ड पर लिये बिना तथा उनको सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री का ज्ञात होने पर पूर्व में उक्त कृषि भूमि बाबत अपीलान्ट द्वारा वाद उनवानी तेजपाल बनाम बन्ने सिंह आदि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां दिनांक 02.06.2015 को प्रस्तुत किया किन्तु उक्त वाद में अधिवक्ता व अपीलान्ट के मध्य सम्पूर्ण वार्तालाप स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रारूपिक त्रुटि की वजह से वाद को दिनांक 07.07.2019 को उक्त वाद विड्रा कर नवीन वाद संख्या 44/2019 तेजपाल सिंह बनाम महावीर सिंह आदि प्रस्तुत किया। उक्त वाद भी दिनांक 29.10.2020 को न्यायालय से विड्रो कर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की गई। यहां यह लिखना भी ससंदर्भित है कि रेस्पोडेन्ट नानूराम जो मुंगाराम का पुत्र है के द्वारा भी दिनांक 17.01.2019 को इस न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 223 आर. टी. एक्ट अपील संख्या 02/2019 प्रस्तुत की जिसमें भी अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया तथा उक्त अपील के कथित रेस्पोडेन्ट महावीर सिंह से साजिस करके दिनांक 28.10.2020 को विड्रा कर ली गई तथा दिनांक 23.06.2021 को नवीन वाद उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण उपरोक्त परिस्थितियों के कारण तथा न्यायिक अनभिज्ञता की वजह से अपील प्रस्तुत नहीं कर सका, इस कारण अपील प्रस्तत करने में हुई देरी को उक्त न्यायिक कार्यवाही में लगे हुए समय के कारण क्षमा किया जाना न्यायोचित व समूचित है जिसके लिये अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार पृथक से आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 21.11.2002 अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 199/2002 उनवानी महावीर सिंह बनाम झाबर आदि में पारित निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकार के मुकाबले अवैध, प्रभावहीन व शून्य होने के कारण निरस्त फरमाई जावें तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि विरासत गोपाल सिंह जी की विरासत का नामान्तकरण विधि अनुसार जांच कर भरे जाने हेतु निर्देशित किया जाना प्रार्थनीय है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी महावीर सिंह भगवान सिंह, नन्दसिंह, मोहन सिंह की ओर से झाबर, मूंगा के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम नरसास तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 2.91 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा निर्णय दिनांक 21.11. 2002 से वाद वादी डिक्री किया गया। इस निर्णय में अपीलांट तेजपाल अथवा उनके पिता सबल सिंह पक्षकार नहीं थे। अपीलांट द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध दिनांक 16.07.2021 को धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के उपरांत भी इस न्यायालय से विधिक प्रावधानों के अनुसार धारा 96 का आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं चाही है। ऐसी स्थिति में विधि अनुसार अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ...)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर